तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>निगरानी / एलआर / 1557 / 2023 / चित्तौडगढ</u> **कंकू बनाम पन्नालाल**	
	<u>एकल–पीठ</u> **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री रोहित सोनी, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी। **<u>निर्णय</u>** **दिनांकः 03–11–2023** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2023 के विरुद्ध के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट के तहत सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगरार के समक्ष पेश की जिस पर अपील दर्ज कर दिनांक 29–11–2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी , इसके बाद प्रार्थीया की अपील को मियाद बाहर एवं क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए दिनांक 10–01–2023 को खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष पेश की जिस पर उनके द्वारा बिना किसी प्रकार का विवेचन कर निगरानीधीन आदेश से मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया है। उनका तर्क है कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को दर किनार कर विरासत के नामा0 में मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को बिना सूचना दिये नामा0 संख्या 216 तस्दीक किया गया है जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नही की है जिससे उक्त अविधिक आदेश पर मियाद जैसा बिन्दु लागू नहीं होता है। अन्त में निवेदन किया कि इस प्रकार के अविधिक निर्णयों को निरस्त कराने के लिए धारा 9 राजस्थान राजस्व अधिनियम के तहत अन्तरर्निहित शक्तियॉ प्राप्त है जिनका प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अन्त में निगरानी स्वीकार निगरानीधीन आदेश 03–02–2023 को निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से की गई बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक अप्रार्थीगण ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 1557 / 2023 / चित्तौडगढ</u>** **कंकू बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानीधीन आदेश को उचित व कानून सम्मत बताते हुए निगरानी को सारहीन होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष अपील उनवानी कंकू बनाम लेहरु प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षों की बहस सुन कर अपने निर्णय में यह वर्णित किया है कि जहॉ तक अपीलार्थी के अभिवचनों के अनुसार उनके हितों के निर्धारण का बिन्दु है वह हक व अधिकारों के संबंध में है जिसका निस्तारण अपील के अन्तिम निस्तारण के समय किया जा सकेगा।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामांतकरण की अपील 46 वर्ष बाद पेश की गयी है। प्रार्थीया की ओर से अपने केस के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु उनके पक्ष में माने जा सकें। ऐसी स्थिति में वर्तमान राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाया रखा जाना किसी प्रकार से उचित नही है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त आधारों पर अपना विस्तृत विवेचन कर जो निगरानीधीन आलौच्य आदेश पारित किया है, वह विधि अनुरुप होने से हस्तगत निगरानी के माध्यम से इसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। लेकिन दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीकी ओर से यह अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों को सुन कर दो माह के अन्दर विधिवत निर्णय पारित करें।

ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी ऑशिक रुप से स्वीकार की की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते हैं कि वे दोनों पक्षों को विधिवत सुन कर उनके समक्ष विचाराधीन प्रकारण में दो माह के अन्दर अपना विधिवत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य